**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर**
**पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.**

**पत्रावली संख्याः—142/2017/अपील**

1. प्रभुराम
2. बीरबल

पुत्रगण दुलाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुवार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0

**अपीलान्ट**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना

**रेस्पोडेन्ट**

**अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.10.2000 मु.नं. 469/2000 उनवानी सरकार बनाम प्रभूराम द्वारा न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना**

वकील अपीलांट श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा

**निर्णय** **दिनांकः—23.01.2019**

अपील में संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि सरकारी भूमि गत खसरा नम्बर 5306/1 रकबा 8.25 है0 तन ग्राम गुवार तहसील नीमकाथाना स्थित है, जिसमें से 3.00 है0 भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा उनके पिता दुलाराम के समय से अर्सा करीब 52 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है जिसके एक साईड में पत्थरो का पारा अर्थात दीवार व तीन तरफ बाड खाई लगा रखी है, जिसमें निरन्तर काश्त करकें अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे है। अपीलान्ट के कब्जे काश्त बाबत खसरा परिवर्तनशील में निरन्तर अंकन चला आ रहा है। अपीलान्ट का कब्जा नियमन होने योग्य होते हुये भी पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध नियमन की रिपोर्ट न करकें उनके विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि गत खसरा नम्बर 5306/1 रकबा 1.00 है0 पर अतिक्रमण किया जाने की रिपोर्ट अधिनस्थ तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत कर दी। योग्य अधीनस्थ तहसीलदार ने हल्का पटवारी की रपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर आगामी पेशी 17.10.2000 को अपीलान्ट पर नोटिस की नियमानुसार तामिल हुये बिना ही उनके विरूद्ध दिनांक 17.10.2000 को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 5306/1 रकबा 1.00 है0 से बेदखल किए जाने तथा लगान की 50 गुणा शास्ति 99 रूपये कायम की जाकर उन्हे बेदखल करने की आज्ञा पारित कर दी। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने का व उन्हे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का ने योग्य अधिनस्थ तहसीलदार को जो अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें अपीलान्ट का कब्जा पुराना चला आ रहा होना बताया है। अतः योग्य तहसीलदार ने अपीलान्ट के कब्जे की नियमन की कार्यवाही न करके बेदखल करने की आज्ञा पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायायल की पत्रावली से नाटिस की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने से ज्ञात हुआ कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2000 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जारी नोटिस अलग–अलग जारी न होकर जोइन्ट नोटिस दिया जाने के सम्बंध में आपत्ति जाहिर की एवं इसकी ताईद में न्यायिक दृष्टांत RRD-1990 पेज नं. 351, RRD-1974 पेज नं. 456 की प्रति पेश की। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी द्वारा ग्राम गुवार की भूमि खसरा नम्बर 5306/1 रकबा 8.25 है0 किस्म गै.मु.पहाड़ में से 1.00 है0 भूमि पर प्रभूराम बीरबल पुत्र दुला द्वारा बाजरा अतिक्रमण पुराना चला आ रहा है, की रिपोर्ट दिनांक 01.09.2000 को तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत की। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा दिनांक 03.10.2000 को प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर आगामी तारीख 17.10.2000 नियत की। अप्रार्थीगण प्रभूराम व बीरबल पुत्रगण दुला का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अलग–अलग नोटिस जारी नहीं कर जोइन्ट नोटिस जारी किया हुआ है। सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के मुताबिक जंहा एक से अधिक प्रतिवादी है, वंहा समन को तामिल हर एक प्रतिवादी पर की जाएगी। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर पूर्णतया लागू होते है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जारी नोटिस अलग–अलग जारी किये जाने चाहिए थे, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल जोईन्ट नोटिस जारी किया है तथा नोटिस पर तामिल के सम्बंध में तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट तक अंकित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2000 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु पृथक–पृथक नोटिस जारी कर नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official